

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी 2012—फाल्गुन 5, शक 1933

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

मध्यप्रदेश अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

शुद्धि पत्र

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2012

क्र. 1262-इक्कीस-अ-(प्रा.).—“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 10 फरवरी, 2012 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों एवं अंक के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिये गये शब्द एवं अंक पढ़े जाएं:—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द एवं अंक	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द एवं अंक आए हैं	शुद्ध शब्द एवं अंक जो पढ़े जाएं.
(1)	पृष्ठ (2)	पंक्ति (3)
उतनी संख्या में	128 (1)	32 वीं
कम्पनी को कोई	128 (4)	27 वीं
वातिल	128 (5)	22 वीं

उतनी संख्या में जितनी पर्याप्त समझी जाए, कम्पनी का कोई वातिल

राजेश यादव, अपर सचिव.

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल — 462 016

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2012

क्रमांक 379/मप्रविनिआ/2012. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2) (जेडडी) सहपठित धारा 61 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 जो कि दिनांक 8.5.2009 को अधिसूचित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 में द्वितीय संशोधन

1. प्रस्तावना

जबकि आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 दिनांक 8.5.2009 जिसकी नियंत्रण अवधि मार्च, 2012 तक है, दिनांक 8 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था । इसलिये, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें तथा प्रभार के निर्धारण के संबंध में वित्तीय तथा सिद्धान्त) विनियम 2009 से रेखाबद्ध किये जाने हेतु तथा नियंत्रण अवधि को मार्च 2013 तक बढ़ाने हेतु इस संशोधन की आवश्यकता है ।

2. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :** 2.1 (i) ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 (द्वितीय संशोधन) {एआरजी-26 (I) (ii) 2012 का }" कहलाएंगे ।

2.2 इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा ।

2.3 ये विनियम तत्काल प्रभाव से मध्यप्रदेश राजपत्र में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे तथा जब तक आयोग द्वारा इनकी पूर्व में किसी प्रकार की समीक्षा न की जावे अथवा विस्तार न किया जावे, ये विनियम इनके प्रवृत्त होने की तिथि से माह मार्च, 2013 तक लागू रहेंगे ।

3. **विनियम में संशोधन :**

"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009" जिसे एतद् पश्चात "प्रधान संहिता कहा गया है, में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, अर्थात्:-

(i) प्रधान संहिता के विनियम 8.1 एवं 15.2 के अन्तर्गत शब्द "मार्च 2012" को शब्द "मार्च 2013" से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

- (ii) प्रधान संहिता के विनियम 15.2 एवं 23.3 के अंतर्गत शब्द "टैरिफ अवधि 2009-12" को शब्द "टैरिफ अवधि 2009-13" से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (iii) प्रधान संहिता के विनियम 17.2 के अंतर्गत शब्द "अवधि 2009-12" को शब्द "2009-13 के दौरान" से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (iv) प्रधान संहिता के विनियम 18.5 के अंतर्गत शब्द "2009-12 के दौरान" को शब्द "2009-13 में" से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
- (v) प्रधान संहिता में विनियम 26.3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

"26.3 नियंत्रण अवधि के प्रथम वित्तीय वर्ष हेतु छटवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन का कर्मचारियों संबंधी लागत (Employees Cost) पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया गया है जिसके अनुसार अनुवर्ती वर्षों में 6.14% की दर से अभिवृद्धि की गई है । आयोग द्वारा दिनांक 31.8.2008 तक की अवधि हेतु बकाया राशि के व्यय पर वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु प्रतिवर्ष एक तिहाई की दर से विचार, विद्युत उत्पादक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन के आधार पर किया गया है । वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2011-12 तक की नियंत्रण अवधि के अन्त में कोई बकाया राशि जो भुगतान होने से रह गई हो, को वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये वास्तविक भुगतान के आधार पर संसाधित किया जायेगा । नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष में बकाया राशि के वास्तविक भुगतान को प्रचालन तथा संधारण व्यय के अन्तर्गत संबंधित व्ययों द्वारा सत्यापित किया जायेगा ।"

- (vi) प्रधान संहिता में विनियम 26.5 विलोपित किया जायेगा ।
- (vii) प्रधान संहिता में विनियम 26.6 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

"26.6 (अ) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल/मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के अंतरितियों के कार्मिकों जो उनकी सेवा शर्तों के अनुसार पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के लिये दावेदार हैं, के संबंध में पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं से संबंधित खर्चों को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की नियंत्रण अवधि के संबंधित टैरिफ वर्ष की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय किये जाने हेतु व्यवस्था अनंतिम रूप में चालू रखी जाएगी ।

(ब) उपरोक्त (अ) के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये दर्शाये व्यय, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय किये जायेंगे तथा मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा किये गये प्रावधानों की सीमा तक पूर्व जांच पश्चात् स्वीकार किया जायेगा । इन प्रावधानों का संबंधित टैरिफ वर्ष की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के सत्यापन के समय फिर से समीक्षा की जायेगी तथा किये गये वास्तविक भुगतान की सीमा तक स्वीकार किया जायेगा ।

- (viii) प्रधान संहिता में विनियम 33.1, 34.1 एवं 47.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् –
33.1 मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के विद्यमान ताप ऊर्जा विद्युत स्टेशनों को निम्न दर्शाये गये प्रचालन के मानदण्ड लागू होंगे :

(ए) मानदण्डीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (Normal Annual Plant Availability Factor (NAPAF))

विद्युत उत्पादक स्टेशन का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 09-10	वित्तीय वर्ष 10-11	वित्तीय वर्ष 11-12	वित्तीय वर्ष 12-13
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 1	62.5 X 5	312.5	78.00%	79.00%	80.00%	80.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 2	200+210	410.0	78.00%	79.00%	80.00%	80.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 3	2 X 210	420.0	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल		1142.5	78.74%	79.37%	80.00%	80.00%
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई पीएच 2	2 X 120	240.0	55.00%	57.00%	60.00%	60.00%
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन संकुल (केवल पीएच 2)		240.0	55.00%	57.00%	60.00%	60.00%
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई नवीन इकाई पीएच 3	1 X 210	210.0	-	-	-	85.00%
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 1	2 X 210	420.0	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 2	2 X 210	420.0	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन संकुल (पीएच 1 तथा पीएच 2)		840.0	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 3	1X500	500.0	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%

(बी) सकल स्टेशन ऊष्मा दर (Gross Station Heat Rate) (किलो कैलोरी/किलोवाट ऑवर)

उत्पादक स्टेशन का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 09-10	वित्तीय वर्ष 10-11	वित्तीय वर्ष 11-12	वित्तीय वर्ष 12-13
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 1	62.5 X 5	312.5	3000	2950	2900	2900
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 2	200+210	410.0	2800	2750	2700	2700
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 3	2 X 210	420.0	2800	2750	2700	2700
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल		1142.5	2855	2805	2755	2755
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई पीएच 2	2 X 120	240.0	3400	3350	3300	3300
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन संकुल (केवल पीएच 2)		240.0	3400	3350	3300	3300

अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई नवीन इकाई पीएच 3	1 X 210	210.0	-	-	-	2450
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 1	2 X 210	420.0	2700	2650	2600	2600
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 2	2 X 210	420.0	2700	2650	2600	2600
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन संकुल (पीएच 1 तथा पीएच 2)		840.0	2700	2650	2600	2600
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 3	1X500	500.0	2425	2425	2425	2425

(सी) आपेक्षिक ईंधन खनिज तेल खपत (Specific Fuel Oil Consumption) (लीटर/किलोवॉट ऑवर)

उत्पादक स्टेशन का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 09-10	वित्तीय वर्ष 10-11	वित्तीय वर्ष 11-12	वित्तीय वर्ष 12-13
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 1	62.5 X 5	312.5	3.50	3.00	2.75	2.75
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 2	200+210	410.0	1.50	1.40	1.30	1.30
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 3	2 X 210	420.0	1.50	1.40	1.30	1.30
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल		1142.5	2.05	1.84	1.70	1.70
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई पीएच 2	2 X 120	240.0	3.00	2.5	2.5	2.5
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन संकुल (केवल पीएच 2)		240.0	3.00	2.5	2.5	2.5
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चर्चई नवीन इकाई पीएच 3	1 X 210	210.0	-	-	-	1.00
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 1	2 X 210	420.0	1.00	1.00	1.00	1.00
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 2	2 X 210	420.0	1.00	1.00	1.00	1.00
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन संकुल (पीएच 1 तथा पीएच 2)		840.0	1.00	1.00	1.00	1.00
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 3	1X500	500.0	1.00	1.00	1.00	1.00

(डी) सहायक ऊर्जा खपत (Auxiliary Energy Consumption) (% में):

उत्पादक स्टेशन का नाम	यूनिट (मेगावाट में)	क्षमता (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 09-10	वित्तीय वर्ष 10-11	वित्तीय वर्ष 11-12	वित्तीय वर्ष 12-13
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 1	62.5 X 5	312.5	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 2	200+210	410.0	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%

सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सारनी पीएच 3	2 X 210	420.0	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन संकुल		1142.5	8.27%	8.27%	8.27%	8.27%
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चचई पीएच 2	2 X 120	240.0	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन संकुल (केवल पीएच 2)		240.0	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन चचई नदीन इकाई पीएच 3	1 X 210	210.0	-	-	-	9.00
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 1	2 X 210	420.0	8.50%	8.25%	8.00%	8.00%
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 2	2 X 210	420.0	8.50%	8.25%	8.00%	8.00%
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन संकुल (पीएच 1 तथा पीएच 2)		840.0	8.50%	8.25%	8.00%	8.00%
संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन पीएच 3		500.0	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

- 34.1 विद्यमान ताप ऊर्जा विद्युत स्टेशनों को अनुज्ञेय प्रचालन एवं संधारण व्ययों में सम्मिलित होंगे कर्मचारी लागत, मरम्मत तथा संधारण (R&M) लागत तथा प्रशासनिक तथा सामान्य (A&G) लागत । इन मानदण्डों में पेंशन, टर्मिनल प्रसुविधाएं, कर्मचारियों को देय प्रोत्साहन, शासन को भुगतान योग्य कर, मप्रराविमं व्यय तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क (fees) सम्मिलित नहीं है । विद्युत उत्पादक कंपनी शासन को देय करों की राशि तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क का दावा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर करेगी । पेंशन तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं को विनियम 26 के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा ।

ताप ऊर्जा विद्युत उत्पादक इकाईयों हेतु प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड

रूपये लाख प्रति मेगावाट में				
यूनिट (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 09-10	वित्तीय वर्ष 10-11	वित्तीय वर्ष 11-12	वित्तीय वर्ष 12-13
62.5	21.42	22.74	24.13	25.61
120	17.84	18.94	20.10	21.33
200/210/250	14.28	15.16	16.09	17.08
500	10.7	11.36	12.05	12.79

- 47.1 विद्यमान जल-विद्युत ऊर्जा को अनुज्ञेय प्रचालन एवं संधारण व्ययों में सम्मिलित होंगे कर्मचारी लागत, मरम्मत तथा संधारण (R&M) लागत तथा प्रशासनिक तथा सामान्य (A&G) लागत । इन मानदण्डों में पेंशन, टर्मिनल प्रसुविधाएं, कर्मचारियों को देय प्रोत्साहन, शासन को भुगतान योग्य कर, मप्रराविमं व्यय तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क (fees) सम्मिलित नहीं हैं । विद्युत उत्पादक कंपनी शासन को देय करों की राशि तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क का दावा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर करेगी । पेंशन तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं को विनियम 26 के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा ।

जल-विद्युत ऊर्जा स्टेशनों के प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड

वर्ष	संचालन तथा संधारण व्यय रूपये लाख प्रति मेगावाट में
वित्तीय वर्ष 2009-10	5.96
वित्तीय वर्ष 2010-11	6.31
वित्तीय वर्ष 2011-12	6.68
वित्तीय वर्ष 2012-13	7.09

Bhopal, Dated 10th February, 2012

No. 379/MPERC/2012. In exercise of powers conferred by Section 181(2) (zd) read with Section 61 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in MPERC (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) (Revision-I) Regulations, 2009 notified on 08.05.2009:

SECOND AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (TERMS AND CONDITIONS FOR DETERMINATION OF GENERATION TARIFF) (REVISION-I) REGULATIONS, 2009

1. Preamble

Whereas, the Commission had notified MPERC (Terms and conditions for determination of Generation Tariff) Regulations, 2009 on 08.05.2009 for the control period upto March, 2012. Therefore, this amendment is required to extend the control period upto March, 2013 to align the applicability of these Regulations in line with MPERC (Terms and conditions for determination of tariff for supply and wheeling of electricity and methods and principles for fixation of charges) Regulations, 2009.

2. Short title and commencement: 2.1 These Regulations shall be called “**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) (Revision-I) Regulations, 2009 (Second Amendment) {ARG-26 (I)(ii) of 2012}**”.

2.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

2.3 These Regulations shall come in force from the date of their publication in the Official Gazette of the Government of Madhya Pradesh and unless reviewed earlier or extended by the Commission, shall remain in force for a period upto March, 2013.

3. Amendment to Regulations:

In the **Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) (Revision-I) Regulations, 2009**, hereinafter called the ‘Principal Regulations’ the following shall be amended, namely:-

(i) In the Principal Regulations, under Regulations 8.1 and 15.2 the words “March 2012” shall be substituted by the words “March 2013”.

(ii) In the Principal Regulations, under Regulations 15.2 and 23.3, the words “Tariff Period 2009-12” shall be substituted by the words “Tariff Period 2009-13”.

(iii) In the Principal Regulations, under Regulations 17.2, the words “during 2009-12” shall be substituted by the words “during 2009-13”.

(iv) In the Principal Regulations, under Regulations 18.5, the words “in 2009-12” shall be substituted by the words “in 2009-13”.

(v) In the Principal Regulations, the Regulations 26.3 shall be substituted as under :

“26.3 For first Financial Year of the control period, the impact of implementation of 6th Pay Commission recommendations has been considered in employees cost, which has been escalated @ 6.14% in subsequent years. The Commission has also considered expenditure on payment of arrears upto 31.8.2008 during the financial years 2009-10 to 2011-12 as one third each year based on estimate submitted by the Generation Company. Any unpaid arrears standing at the end of the control period from FY 2009-10 to FY 2011-12 shall be treated on actually paid basis for FY 2012-13. The actual arrears payments made in each year of the control period shall be trued up vis-a-vis those provided in the O&M charges.

(vi) In the Principal Regulations, the Regulations 26.5 shall be deleted.

(vii) In the Principal Regulations, the Regulations 26.6 shall be substituted as under :

“26.6(a) The expenses towards pension and other terminal benefits in respect of all personnel of MPSEB/MPEB and its all successor entities who are entitled as per their service conditions for pension and other terminal benefits shall continue to be allowed in the Aggregate Revenue Requirement of MP Power Transmission Co. Ltd. of the respective tariff year during the control period.

(b) The above expenses at (a) for each financial year shall be a pass through in the Aggregate Revenue Requirement of MP Power Transmission Co. Ltd and permitted to the extent of the provisions made by the MP Power Transmission Co. Ltd. subject to prudence check by the Commission. This provisioning shall be subject to further review at the time of the true-up of the ARR of respective year and shall be allowed to the extent of actual payments made.”

(viii) In the Principal Regulations, under Regulations 33.1, 34.1 and 47.1 the following may be substituted, namely;

33.1 The norms of operation as given hereunder shall apply for existing Thermal Power Stations of MPPGCL;

(a) Normative Annual Plant Availability Factor (NAPAF)

Name of Generating Station	Units (MW)	Capacity (MW)	FY 09-10	FY 10-11	FY 11-12	FY 12-13
STPS Sarni PH 1	62.5 X 5	312.5	78.00%	79.00%	80.00%	80.00%
STPS Sarni PH 2	200+210	410.0	78.00%	79.00%	80.00%	80.00%
STPS Sarni PH 3	2 X 210	420.0	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
STPS Complex		1142.5	78.74%	79.37%	80.00%	80.00%
ATPS Chachai PH 2	2 X 120	240.0	55.00%	57.00%	60.00%	60.00%
ATPS Complex (PH 2 only)		240.0	55.00%	57.00%	60.00%	60.00%
ATPS Chachai PH3	1 X 210	210.0	-	-	-	85.00%
SGTGS PH 1	2 X 210	420.0	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
SGTGS PH 2	2 X 210	420.0	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
SGTGS Complex (PH 1 & PH 2)		840.0	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
SGTGS PH 3	1X500	500.0	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%

(b) Gross Station Heat Rate (Kcal/kWh)

Name of Generating Station	Units (MW)	Capacity (MW)	FY 09-10	FY 10-11	FY 11-12	FY 12-13
STPS Sarni PH 1	62.5 X 5	312.5	3000	2950	2900	2900
STPS Sarni PH 2	200+210	410.0	2800	2750	2700	2700
STPS Sarni PH 3	2 X 210	420.0	2800	2750	2700	2700
STPS Complex		1142.5	2855	2805	2755	2755
ATPS Chachai PH 2	2 X 120	240.0	3400	3350	3300	3300
ATPS Complex (PH-2 only)		240.0	3400	3350	3300	3300
ATPS Chachai PH3	1 X 210	210.0	-	-	-	2450
SGTGS PH 1	2 X 210	420.0	2700	2650	2600	2600
SGTGS PH 2	2 X 210	420.0	2700	2650	2600	2600
SGTGS Complex (PH 1 & PH 2)		840.0	2700	2650	2600	2600
SGTGS - PH 3	1X500	500.0	2425	2425	2425	2425

(c) Specific Fuel Oil Consumption (ml/kWh)

Name of Generating Station	Units (MW)	Capacity (MW)	FY 09-10	FY 10-11	FY 11-12	FY 12-13
STPS Sarni PH 1	62.5 X 5	312.5	3.50	3.00	2.75	2.75
STPS Sarni PH 2	200+210	410.0	1.50	1.40	1.30	1.30
STPS Sarni PH 3	2 X 210	420.0	1.50	1.40	1.30	1.30
STPS Complex		1142.5	2.05	1.84	1.70	1.70
ATPS Chachai PH 2	2 X 120	240.0	3.00	2.5	2.5	2.5
ATPS Complex (PH 2 only)		240.0	3.00	2.5	2.5	2.5
ATPS Chachai PH 3	1 X 210	210.0	-	-	-	1.00
SGTGS PH 1	2 X 210	420.0	1.00	1.00	1.00	1.00
SGTGS PH 2	2 X 210	420.0	1.00	1.00	1.00	1.00
SGTGS Complex (PH 1 & PH 2)		840.0	1.00	1.00	1.00	1.00
SGTGS PH 3	1X500	500.0	1.00	1.00	1.00	1.00

(d) Auxiliary Energy Consumption (%):

Name of Generating Station	Units (MW)	Capacity (MW)	FY 09-10	FY 10-11	FY 11-12	FY 12-13
STPS Sarni PH 1	62.5 X 5	312.5	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
STPS Sarni PH 2	200+210	410.0	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
STPS Sarni PH 3	2 X 210	420.0	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
STPS Complex		1142.5	8.27%	8.27%	8.27%	8.27%
ATPS Chachai PH 2	2 X 120	240.0	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
ATPS Complex (PH 2 only)		240.0	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
ATPS Chachai PH 3	1 X 210	210.0	-	-	-	9.00%
SGTPS PH 1	2 X 210	420.0	8.50%	8.25%	8.00%	8.00%
SGTPS PH 2	2 X 210	420.0	8.50%	8.25%	8.00%	8.00%
SGTPS Complex (PH 1 & PH 2)		840.0	8.50%	8.25%	8.00%	8.00%
SGTPS PH 3		500.0	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

- 34.1 The Operation and Maintenance expenses admissible to existing thermal power stations comprise of employee cost, Repair & Maintenance (R&M) cost and Administrative and General (A&G) cost. These norms exclude Pension, Terminal Benefits and Incentive to be paid to employees, taxes payable to the Government, MPSEB expenses and fees payable to MPERC. The Generating Company shall claim the taxes payable to the Government and fees to be paid to MPERC separately as actuals. The claim of pension and Terminal Benefits shall be dealt as per Regulation 26.

O&M Norms for Thermal Generating Units

Rs. in lakhs/MW				
Units (MW)	FY 09-10	FY 10-11	FY 11-12	FY 12-13
62.5	21.42	22.74	24.13	25.61
120	17.84	18.94	20.10	21.33
200/210/250	14.28	15.16	16.09	17.08
500	10.7	11.36	12.05	12.79

- 47.1 The Operation and Maintenance Expenses admissible to existing Hydro power stations comprise of employee cost, Repair & Maintenance (R&M) cost and Administrative and General (A&G) cost. These norms exclude pension, terminal benefits and incentives to be paid to employees, taxes payable to the Government, MPSEB expenses and fees payable to MPERC. The Generating Company shall claim the taxes payable to the Government and fees to be paid to MPERC separately as actuals. The claim of Pension and Terminal Benefits shall be dealt as per Regulation 26.

O&M Norms for Hydel Power Stations

Year	O&M Expenses Rs. in lakhs/MW
FY 09-10	5.96
FY 10-11	6.31
FY 11-12	6.68
FY 12-13	7.09

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.